

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

भू-अर्जन प्र.क.54/अ-82/2014-15

ग्राम चिटकाकानी प.ह.नं. 37

तहसील रायगढ़ जिला रायगढ़

महाप्रबंधक,

एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना

घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.)

आवेदक.

विरुद्ध

- 1 ईच्छाबाई पिता अरखित जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
- 2 उज्जवल त्रिनाथो पिता भुरसवो, सायबानी, रुखनी पिता भुरसवो जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
- 3 गजेन्द्र पिता अरखित जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
- 4 जेठूराम पिता पूर्णचंद जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
- 5 जशोवति पिता माखनो जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
- 6 जयराम पिता पूर्णचंद जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
- 7 जयदेव पिता आन्दो जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
- 8 दौलत मोहलत, देवानन्द, देवमती, भगवती बेलमती पिता विसो जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
- 9 नन्दकुमार पिता प्रहलाद जाति ब्राम्हण सा रायगढ़ भूमि स्वामी
- 10 नत्थुराम पिता अरखित जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
- 11 शुरुवाली बे. पवित्र कुमार, ललित कुमार, गीता सुभाष, विजय पिता पवित्र कुमार सुमेन्द्रा, सुचन्द्रा पिता राजागर जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
- 12 परसन, जगदीश पिता डोलमणी, शांति पिता रघु जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
- 13 प्रशांत पिता एस. एन. पाण्डेय जाति ब्राम्हण सा0 चक्रधर नगर भूमि स्वामी
- 14 बाना पिता चक्रो जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
- 15 मंगल पिता चक्रो जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
- 16 रक्षपाल पिता शिबो जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
- 17 सहदेव पिता छिन्नू, तपश्विनी पिता छिन्नू जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
- 18 सुरेश, सुदर्शन पिता बैरागी, मु. माधवी बेवा बैरागी जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
- 19 सत्यानन्द, सागर, मोगरा, पांचो, सकरा पिता नारायण, सुकान्ति पिता रघु जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
- 20 सत्यभामा पिता आन्दो जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
- 21 रक्षपाल पिता शिबो जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
- 22 गणेश, भिष्मो पिता नरसिंग

अनावेदकगण.

अवार्ड आदेश

(दिनांक 23 -01-2017)

(1) यह प्रकरण महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा जिला रायगढ़ के पत्र क्र. REF No 5073/TLCMP/pvt/12/08/15 चिटकाकानी दिनांक 06.8.2015 के अनुसार ग्राम-चिटकाकानी प.ह.नं. 37 रा.नि.मं. व तह.-रायगढ़ जिला रायगढ़ के निजी भूमि कुल ख.नं. 30 कुल रकबा 1.747 हे. का रेल लाईन निर्माण के लिये अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन प्रस्ताव विहित प्रपत्र में प्राप्त होने पर प्रारंभ किया गया।

उपरोक्त भू-अर्जन प्रस्ताव के संदर्भ में पुनर्वास योजना तैयार कर महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रस्तावित पुनर्वास योजना का अनुमोदन प्रचलित नियमों के तारतम्य में आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर के पत्र क्रमांक 3062/राजस्व/भू-अर्जन/2015 बिलासपुर दिनांक 25.7.2015 अनुसार प्रस्तावित पुनर्वास योजना में निम्नांकित शर्त समाहित है :-

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

1. कलेक्टर द्वारा मुआवजा का निर्धारण भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत किया जावेगा।
2. भासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जावेगा।
3. भूमि अर्जन के बाद स्थल पर जिस कृषक की इतनी कम भूमि शेष बचती हो कि उस पर लाभदायक कृषि संभव न हो, तो शेष भूमि का भी अधिग्रहण किया जावेगा।
4. पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिये वृक्षारोपण किया जावेगा। वृक्षारोपण हेतु कार्य योजना दो माह के भीतर तैयार किया जावे, ताकि आगामी बरसात के पूर्व वृक्षारोपण का कार्य किया जा सके।
5. पुनर्वास पैकेज एवं प्रतिकर के पूर्ण भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
6. मकान विस्थापितों के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की जावे।
7. कलेक्टर रायगढ़ भू-अर्जन कार्य का समुचित पर्यवेक्षण करेंगे, एवं प्रत्येक तीन माह में अपना प्रगति प्रतिवेदन राज्य शासन को एवं इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
8. एनटीपीसी लिमिटेड तलाईपाली तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ कोल माईस ताप विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा कराये गये कार्य गुणवत्ता के अनुसार हो, यह सुनिश्चित किया जावे।
9. प्रभावित परिवारों को रोजगार सुनिश्चित करने की दृष्टि से आजीविका ट्रेड में प्रशिक्षण व्यवस्था किया जावेगा। पश्चात सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिकता में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से रोजगार/ जीविका उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।
10. जिले के निःशक्तजनों के लिए आजीविका प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु विशेष प्रयास करना होगा।
11. नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 के दूसरी अनुसूची धारा 31(1) 38(1) और धारा 105 (3) के प्रावधानों का भी पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा।

(2) उपरोक्त अनुक्रम में महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना से ग्राम चिटकाकानी के प्रस्तावित निम्नांकित भूमि के अधिग्रहण किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के संदर्भ में छ.ग.भासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में अधिग्रहण कार्यवाही हेतु प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11(1) के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन निम्नानुसार कराया गया :-
अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण :-

खसरा न.	रकबा (हे0) में	खसरा न.	रकबा (हे0) में	खसरा न.	रकबा (हे0) में	खसरा न.	रकबा (हे0) में
10/77	0.089	10/33	0.130	10/208	0.101	10/42	0.049
10/5ग	0.061	10/216	0.020	12/14	0.069	10/113	0.016
10/103ग	0.061	10/102	0.020	10/110	0.101	10/147	0.113
10/18ग	0.016	10/18ख	0.016	10/118	0.061	10/215	0.020
10/66	0.097	10/111	0.004	10/18क	0.021	12/9	0.125
10/97	0.045	10/45	0.061	10/193	0.101	12/7	0.101
10/140	0.129	10/67	0.032	10/96	0.012	10/105	0.024
10/18घ	0.020	10/62	0.032	योग - कुल ख.नं. 30 कुल रकबा 1.747.हे.			

अधिनियम की धारा-11 (1) के प्रकाशन का विवरण निम्नानुसार है:-

1. छ.ग. राजपत्र में दिनांक 02.10.15 भाग-1 पृ.क.1528
2. स्थानीय समाचार पत्र कुशाग्रता दिनांक 16.10.2015
3. क्षेत्रीय समाचार पत्र हाईवे चैनल दिनांक 15.10.2015
4. ग्राम में मुनादी के माध्यम से दिनांक 07.11.2015

प्रकरण में धारा-11(1) के अधिसूचना प्रकाशन पश्चात् दौलत आ.वीस खम्हारी, वगैरह ग्राम चिटकाकानी के द्वारा लिखित में आपत्ति प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत आपत्ति के संबंध में आवेदक निकाय एवं तहसीलदार रायगढ़ से प्रतिवेदन प्राप्त कर आपत्ति का निराकरण निम्नानुसार किया गया :-

दौलत आ.वीसा खम्हारी मोहलत आ. बीसा खमरी, देवानंद आ. वीसा खम्हारी, भगवती आ. वीसा, बेलमती आ. वीसा, उजला आ. भुरसबो, त्रिनाथ आ. भुरसबो, यावानी आ. भुरसबो, जसोवती आ. माखनु

खम्हारी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में लेख किया गया है कि ग्राम चिटकाकानी की भूमि ख.नं.12/9 रकबा 0.125 हे. आवेदकगण एवं रक्षपाल आ. सीबो के संयुक्त स्वामित्व की भूमि है। उक्त भूमि पूर्व में कुष्टो के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी तथा कुष्टो की मृत्यु उपरांत रक्षपाल ने आवेदकगण से छिपाकर स्वयं को कुष्टो का एक मात्र उत्तराधिकारी बताते हुये तहसीलदार रायगढ़ से राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ-6/2014-15 में अपने पक्ष में नामांतरण आदेश दिनांक 17.10.2014 पारित करा लिया एवं उक्त नामांतरण आदेश के आधार पर उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों से कुष्टो का नाम विलोपित कराकर अपना नाम भी दर्ज करा लिया है। आवेदकगण को उपरोक्त आदेश की जानकारी होने पर आवेदकगण ने उपरोक्त नामांतरण आदेश को अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रकरण 01/अ-6/2014-15 प्रस्तुत कर चुनौती दिया गया तथा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करने को तहसीलदार द्वारा रक्षपाल के पक्ष में किये गये नामांतरण आदेश दिनांक 7.10.2014 को निरस्त कर दिया एवं दिनांक 30.06.2015 को यह आदेश पारित किया गया है। कि ग्राम चिटकाकानी में स्थित भूमि खसरा नं. 12/09 रकबा 0.202 हे. के राजस्व अभिलेखों में रक्षपाल के साथ आवेदकगण का नाम भी दर्ज किया जावे। परन्तु हल्का पटवारी ने आज पर्यन्त आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं किया है।

उक्त आपत्ति के संबंध में प्राप्त प्रतिवेन के अनुसार उक्त भूमि के संबंध में आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर के न्यायालय में अपील प्रकरण क्रमांक 415/अ-6/14-15 विचाराधीन है। अतः वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज नाम के अनुसार मुआवजा राशि की गणना की जावेगी तथा न्यायालय के निर्णय अनुसार मुआवजा राशि का भुगतान किया जावेगा।

(4) अतएव प्रकरण में अधिनियम की धारा-19 की घोशणा के प्रकाशन की कार्यवाही निम्नानुसार कराया गया :-

1. छग राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को भाग-1 पृ. 997
2. स्थानीय समाचार पत्र 1. कुशाग्रता में दिनांक 12.5.2016
2. नईदुनिया में दिनांक 12.5.2016
3. स्थानीय तौर पर ग्राम में मुनादी के माध्यम से दिनांक 19.5.2016

प्रकरण में धारा 19 की घोशणा के प्रकाशन उपरान्त कोई भी दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ।

(5) प्रकरण में अधिनियम की धारा-21 की सूचना दिनांक 20.5.2016 को जारी कर भू-स्वामियों को सुनवाई हेतु दिनांक 27.6.2016 को आहूत किया गया। कुछ भू-स्वामियों के निवेदन पर धारा 21 के अंतर्गत सुनवाई हेतु उचित अवसर देते हुए दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने की तारीख 30.7.2016 तक बढ़ाई गई। तथा प्राप्त दावा/आपत्तियों के संबंध में तहसीलदार, रायगढ़ एवं आवेदक निकाय से संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। आपत्तिवार निराकरण निम्नानुसार है :-

(1) आपत्तिकर्ता दोलत आ.वीस खम्हारी, मोहलत आ.वीस खम्हारी, देवानंद आ. वीस खम्हारी, भगवती आ.वीस खम्हारी, बेलमती आ.वीस खम्हारी, उजला आ.स्व. भुरसबो खम्हारी त्रिनाथ आ.स्व.भुरसबो खम्हारी याबानी आ.स्व.भुरसबो खम्हारी जसोवन्ती आ.स्व. माखनु खम्हारी द्वारा ख.नं. 12/9 रकबा 0.202 हे. के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि - न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ द्वारा अपील क्र. 14/अ-6/14-15 में दिनांक 30.06.2015 को आदेश द्वारा आवेदक गण एवं सफेद आ. सिबो तियारो आ. सिबो का नाम पटवारी ह0न0 19 चिटकाकानी जिला रायगढ़ में स्थित भूमि खसरा नं. 12/9 रकबा 0.202 हे. के राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। उक्त आदेश के विरुद्ध कमिश्नर कोर्ट में प्रस्तुत में स्टे प्राप्त कर लिया गया था जिसे माननीय कमिश्नर महोदय ने समाप्त कर दिया है। जिस कारण दिनांक 23.02.2016 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी हल्का पटवारी को अभिलेख दुरुस्थ करने आदेश दिया गया है। उक्त भूमि अद्योगिक प्रयोजन हेतु शासन द्वारा अर्जित की जा रही है तथा पटवारी से साठ-गाठ कर रक्षपाल को फायदा पहुंचाने के लिए एस.डी.ओ. के आदेश के पालन में आवेदक गण का नाम दर्ज नहीं किया जा रहा यह कारण है कि दिनांक 27.06.2016 को रक्षपाल को मुआवजा राशि निर्धारित करने हेतु भू-अर्जन अधिकारी द्वारा बुलाया गया है।

प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार स्थल जांच में मौके पर दोनों पक्ष उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ के आदेशानुसार ख.नं.12/9 रकबा 0.202 हे. भूमि दौलतराम वगै. के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया था जिसके विरुद्ध रक्षपाल आ. शिबो द्वारा राजस्व न्यायालय बिलासपुर में दायर प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ के आदेश को निरस्त कर रक्षपाल आ. शिबो का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया। वर्तमान में दौलत वगै. के द्वारा इस आदेश के विरुद्ध अपील दायर करना बताया गया। किन्तु अपील संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्तमान में राजस्व अभिलेख में रक्षपाल आ. शिबो का नाम दर्ज है, तथा दर्ज नाम पर मुआवजा की गणना की जावेगी।

(2) आपत्तिकर्ता गजेन्द्र पिता अरखित जाति कोलता द्वारा आपत्ति की गई है कि ख.नं. 10/66 रकबा 0.097 हे. स्थित दो मौहा पेड का उल्लेख होना छूट गया है। भूमि का मुआवजा राशि किस आधार पर किया जा रहा है स्पष्ट नहीं है। भासन की भू अर्जन नीति अनुसार पुर्नवास नीति के तहत मुझे एकमुस्त पुर्नवास भत्ता प्रदान किया जावे।

प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार स्थल जांच में अधिग्रहण की जा रही भूमि ख.नं 10/66 रकबा 0.097 हे. पर 4नग मौहा गणना योग्य पाया गया। भूमि का मुआवजा गाईड लाईन,विकी छांट एवं पुनर्वास निति दर में तुलना कर अधिकतम दर पर राशि की गणना की जावेगी। तथा अनुमोदित पुनर्वास योजना का लाभ देय होगा।

(3) आपत्तिकर्ता नत्थुराम पिता अरखित जाति कोलता द्वारा आपत्ति की गई है कि ख.नं. 10/45 रकबा 0.061 हे. का मुआवजा राशि का निर्धारण किस आधार पर किया जा रहा है स्पष्ट नहीं किया गया है। भू अर्जन से पहले उसका स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। भासन की भू अर्जन नीति अनुसार पुर्नवास नीति के तहत मुझे एकमुस्त मुआवजा भत्ता प्रदान किया जाये।

प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार अधिग्रहण की जा रही भूमि ख.नं 10/45 रकबा 0.061 हे. का मुआवजा गाईड लाईन,विकी छांट एवं पुनर्वास निति दर में तुलना कर अधिकतम दर पर राशि की गणना की जावेगी। तथा प्रभावितों को अनुमोदित पुनर्वास योजना का लाभ देय होगा।

(4) आपत्तिकर्ता पवित्र कुमार सुमित्रा, सविता पिता उजागर जाति कोलता द्वारा आपत्ति की गई है कि ख.नं. 10/67 रकबा 0.032 हे. अधिग्रहण की जा रही भूमि का मुआवजा राशि का निर्धारण किस आधार पर किया जा रहा है स्पष्ट नहीं किया गया है। भू अर्जन से पहले उसका स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। यह कि भासन की भू अर्जन नीति अनुसार पुर्नवास नीति के तहत मुझे एकमुस्त मुआवजा भत्ता प्रदान किया जाये।

अधिग्रहण की जा रही भूमि ख.नं 10/67 रकबा 0.032 हे. का मुआवजा गाईड लाईन,विकी छांट एवं पुनर्वास निति दर में तुलना कर अधिकतम दर पर राशि की गणना की जावेगी। तथा प्रभावितों को अनुमोदित पुनर्वास योजना का लाभ देय होगा।

(5) आपत्तिकर्ता प्रशांत पिता एस. एन. पाण्डेय जाति ब्राम्हण द्वारा आपत्ति की गई है कि ख. नं. 10/208 रकबा 0.101 हे. एवं ख.नं.12/14 रकबा 0.069 हे. कुल रकबा 0.170 हे. दो फसल जैसे- मूंगफली, अदरक, उडद, आदि की फसल लेता है। उक्त भूमि पर महुआ, गुलमोहर, सागौन, आदि बहुत सारे वृक्ष है। तथा स्वतः के बोर द्वारा फसल किया जाता है। उक्त भूमि पर पक्का पंप हाउस एवं पक्का मकान भी निर्मित है। उक्त स्थित को देखते हुए किसी राजस्व अधिकारी से स्थल निरीक्षण करवाया जावे। भूमि मुख्य मार्ग से लगी हुई है। धारा 21 के नोटिस में महुआ-1, गुलमोहर-1, सागौन-1, खम्हार-1 दर्शया गया है। वह पूर्णतः गलत है, वास्तविक स्थिति यह है कि वर्तमान में महुआ-16, सागौन-12, खम्हार-6, आम-3 नग है, जो वर्तमान में किसी राजस्व अधिकारी द्वारा जांच करवाया जा सकता है।

प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार स्थल जांच में अधिग्रहण की जा रही भूमि ख. नं. 10/208 रकबा 0.101 हे. एवं ख.नं. 12/14 रकबा 0.069 हे. कुल रकबा 0.170 हे. मुख्य मार्ग से लग कर है, जिस पर मुगफली की फसल लगी हुई है। मौके पर मौहा-15, सागौन-1, खम्हार-5, मोटाई गणना योग्य पाया गया। पक्का पम्प हाउस, एवं ट्यूबेल अर्जित कि जा रही भूमि से बाहर है।

(6) आपत्तिकर्ता गणेश, भिषो पिता नरसिंग द्वारा आपत्ति की गई है कि ख.नं. 12/7 रकबा 0.101 हे. पर 2 आम के तथा एक महुआ का पेड़ है। भूमि रायगढ़ जामगांव मुख्य मार्ग से लगी हुई है। राजस्व अभिलेख में भाई गणेश का नाम है किन्तु उक्त भूमि में से अपने हिस्से की भूमि को गणेश द्वारा दिनांक 04.01.1986 को नारायण एवं वरुण को विक्री कर दी थी तथा बकाया भूमि आवेदक की है। तथा उक्त भूमि का मुआवजा एवं भत्ता राशि केवल मेरे नाम से जारी किया जाना चाहिए इस पर भाई गणेश को कोई आपत्ति नहीं है। यह कि भू अर्जन की राशि के साथ साथ पुर्नवास भत्ता एकमुस्त प्रदान किया जावे।

प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार स्थल जांच में अधिग्रहण की जा रही भूमि भूमि ख.नं. 12/7 रकबा 0.101 हे. पर कोई वृक्ष नहीं पाया गया। भूमि रायगढ़ जामगांव मुख्य मार्ग पर लग कर है। राजस्व अभिलेख में भीष्मों, गणेश पिता नरसिंग के नाम पर दर्ज है। दर्ज नाम पर मुआवजा की गणना की जावेगी। तथा अनुमोदित पुर्नवास योजना का लाभ देय होगा।

(6) उपरोक्त अधिग्रहित की जा रही भूमि के संबंध में स्थल जांच प्रतिवेदन दि. 20/10/2016 एवं पंचनामा दिनांक 20/10/2016 के साथ आवेदक निकाय, एवं तहसीलदार रायगढ़ की ओर से राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ। अधिग्रहित की जा रही भूमि का स्थल जांच कर भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों का नियमानुसार निर्धारित मापदण्ड के अनुसार मुआवजा का गणना पत्रक-भाग-1 क,ख,ग,घ तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, जो आदेश का अंग है।

(7) अर्जित की जा रही भूमि का उप पंजीयक, रायगढ़ द्वारा प्राप्त केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड, रायपुर द्वारा अनुमोदित गाईड-लाईन वर्ष 2015-16 की दर, औसत विक्रीछांट दर तथा आदर्श पुर्नवास नीति (संशोधित) की दर से तुलना में गाईड लाईन की दर अधिक होने के फलस्वरूप गाईड-लाईन वर्ष 2015-16 की दर के अनुरूप मुआवजा का निर्धारण किया गया है।

भूमि का प्रकार	गाईड लाईन वर्ष 2015-16 की दर प्रति हे० में.	बिक्री छांट के अनुसार दर प्रति हे० में.	पुर्नवास नीति के अनुसार दर प्रति एकड़
असिंचित खार/टिकरा/बहला	1569000/-	2555631/-	800000/-
टिकरा मुख्य मार्ग (राज्य मार्ग) से लगकर	4257000/-	2555631/-	800000/-

(क) भूमि का मुआवजा -

क्र.	अधिग्रहित भूमि का प्रकार	रकबा	गाईड लाईन के अनुसार कुल मुआवजा राशि	बिक्री छांट के दर से कुल मुआवजा राशि	पुर्नवास नीति की दर से कुल मुआवजा की राशि	देय मुआवजा
1	असिंचित खार/टिकरा/बहला	1.371	8927060/-	3503770/-	2710194/-	8927060/-
2	टिकरा मुख्य मार्ग (राज्य मार्ग) से लगकर	0.376	6642624/-	960917/-	743278/-	6642624/-
	योग	1.747	15569684	4464687	3453472	15569684

(ख) अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मुआवजा -

निरंक

(ग) अर्जित भूमि पर स्थित वृक्षों का मुआवजा -

रु. 416837/-

(घ) भूमि परिसंपत्तियों तथा वृक्षों का मुआवजा (क+ख+ग का योग)

रु. 15986521/-

(8) प्रकरण में भू-अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत पुर्नवास प्रतिवेदन तैयार कराने एवं पुर्नवास अवार्ड पारित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

(9) तदनुसार महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण के लिये ग्राम चिटकाकानी की अधिग्रहित निजी भूमि कुल खसरा नं. 30 कुल रकबा 1.747 हे. भूमि तथा भूमि पर स्थित वृक्षों का कुल मुआवजा राशि रुपये 15986521/- (अक्षरांक एक करोड़ उन्सठ लाख छियासी हजार पाँच सौ इक्कीस रुपये मात्र/-) परिगणित होता है तथा भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्ति का मुआवजा गणना पत्रक-भाग-1 क,ख,ग,घ अवार्ड आदेश का अंग माना जावे। महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार अर्जित की जा रही भूमि का मुआवजा राशि छ.ग.भासन राजस्व एवं प्रबंधन विभाग का पत्र क्रमांक एफ-4-03/सात-1/2014 रायपुर दिनांक 24.02.2014 कलेक्टर रायगढ़ के पत्र क्रमांक 1539/भू- अर्जन/2014 दिनांक 28.02.2014 एवं राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के अधिसूचना क्र. एफ-4-28/सात-1/2014/दिनांक 04.12.2014 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार गाईड -लाईन वर्ष 2015-16 की दर एवं छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति 2007 (संशोधित) दर से तुलना कर गाईड-लाईन वर्ष 2015-16 की दर अधिक होने के कारण गाईड लाइन की दर से अधिकतम देय मुआवजा की परिगणना की गई है।

प्रकरण में अवार्ड आदेश पारित किया जाता है।

भू-अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छ.ग.)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 148 /भू-अर्जन/2017,
प्रतिलिपि :-

रायगढ़ दिनांक 24/01/2017

1. आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) रायगढ़ को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित। निवेदन है कि प्रकरण में पारित अवार्ड मुआवजा राशि रुपये 15986521/- (अक्षरांक एक करोड़ उन्सठ लाख छियासी हजार पाँच सौ इक्कीस रुपये मात्र/-) प्रदाय करने का कष्ट करें।
3. महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आप कृपया पारित अवार्ड आदेश की प्रति संबंधित भूमि स्वामी को उपलब्ध करावें। तथा पुनर्वास प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
4. उप पंजीयक रायगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित।
5. तहसीलदार रायगढ़ को अभिलेख दुरुस्ती हेतु अग्रेषित।
6. राजस्व निरीक्षक रा.नि.म. रायगढ़ को अभिलेख दुरुस्ती हेतु अग्रेषित।
7. प.ह.न. 37 को अभिलेख दुरुस्ती हेतु अग्रेषित।

भू-अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)